बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हमारी सरकार के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वार्षिक बजट इस सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। हमें यह सौभाग्य प्रदान करने वाली प्रदेश की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

2. यह अजीब संयोग है कि जब मैं प्रथम कार्यकाल का प्रथम बजट प्रस्तुत कर रहा था तब प्रदेश विकास शून्य था एवं वित्तीय स्थिति अत्यंत दयनीय थी और आज दूसरे कार्यकाल के प्रथम बजट के अवसर पर जब हम विकास एवं सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के नये झंडे गाड़ चुके है वहीं विश्व व्यापी आर्थिक मंदी, छठे वेतनमान का भारी वित्तीय बोझ, अभूतपूर्व सूखा, केन्द्रीय करों में राज्यांश की भारी गिरावट एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य के अंश प्रतिशत में वृद्धि जैसे संकट के नये बादल प्रदेश की क्षितिज पर छाये हुए हैं। किन्तु अगर –

समन्दर को गुमान है तूफाँ उठाने का,
तो हमें भी शौक है कश्ती वहीं चलाने का
क्योंकि हम अनुप्राणित हैं
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इन शब्दों से कि –
''भविष्य से डरिये मत, बल्कि उसके निर्माण में रूचि लीजिये। संजोये सपनों को सँवारिये, कल्पना को कर्म से गढ़िये और योजना को युक्ति से पूरा कीजिये।''
क्योंकि ''हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं।''

3. इन बुलंद हौंसलों के कारण ही तूफान से कश्ती को निकालने में हम कामयाब हुए हैं। विश्व व्यापी आर्थिक मंदी की आंधी में जहाँ राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दर घटी है वहीं वर्ष 2008–09 में राज्य के कर संग्रहण की दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। तेरह वर्षों के लगातार राजस्व घाटे के

बाद गत 4 वर्षों से निरन्तर राजस्व आधिक्य है। 5 वर्षों में एक दिन भी ओवर ड्राफ्ट नहीं हुआ तथा हमने प्रदेश को विकास की नई ऊँचाईयों पर पहुंचाया।

4. हमारी दिशा स्पष्ट है। सात सूत्रीय कार्यक्रम सुनिश्चित हैं जिनकी घोषणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रीजी ने सार्वजनिक रूप से की है। ये सूत्र हैं :– अधोसंरचना विकास, निवेश वृद्धि, कृषि को फायदे का व्यवसाय बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सुशासन एवं संसाधन विकास, तथा कानून एवं व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। हमारी मंजिल है 'स्वर्णिम मध्यप्रदेश'। यह बजट इन्हीं लक्ष्यों को समर्पित है।

आर्थिक स्थिति

5. सकल राज्य घरेलू उत्पाद त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2007–08 के लिये स्थिर मूल्यों पर रूपये 1,03,503 करोड़ तथा चालू मूल्यों पर रूपये 1,42,500 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2006–07 (त्वरित अनुमान) की तुलना में स्थिर मूल्यों से यह रूपये 7,249 करोड़ तथा चालू मूल्य से रूपये 14,298 करोड़ अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद की स्थिर मूल्यों पर अखिल भारतीय वृद्धि दर वर्ष 2006–07 में 9.75 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2007–08 के त्वरित अनुमानों के अनुसार घट कर 9.01 प्रतिशत एवं वर्ष 2008–09 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 6.7 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2006–07 में 4.75 प्रतिशत वर्ष 2007–08 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बढ़ कर 5.25 प्रतिशत एवं वर्ष 2008–09 के अग्रिम अनुमानों अनुसार 5.57 प्रतिशत हो गई है। जब भारत की सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर में निरन्तर कमी आ रही है तब मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में इसी अवधि में वृद्धि दर का बढ़ना हमारे गत 5 वर्षों में किये गये प्रयासों का परिणाम हैं।

कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी

6. खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने का हमने संकल्प लिया है। कृषि एवं सहायक गतिविधियों के सर्वांगीण विकास हेतु हमने अनेक महत्वपूर्ण योजनायें

प्रारंभ की हैं। गत वर्ष प्रारंभ की गई बलराम तालाब योजना जनता के बीच लोकप्रिय हो रही है, इसके लिए रूपये 19 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए नलकूप खनन पर अनुदान योजना अब सभी वर्ग के लोगों के लिए लागू की गई है। हमने राज्य में स्प्रिंकलर, ड्रिप एवं रेनगन जैसे सिंचाई उपकरणों पर 30 प्रतिशत टाप–अप अनुदान देने का प्रावधान किया है।

7. गत वर्षं प्रदेश के कई भागों में सूखे की स्थिति निर्मित हुई, जिसके लिये हमने किसानों को यथासमय राहत देने की व्यवस्था की, तथा आपदा राहत मद के अंतर्गत राशि रूपये 588 करोड़ व्यय किए गए। इसमें केन्द्र की राशि मात्र रूपये 208 करोड़ है, शेष भार राज्य शासन को वहन करना पड़ा। वर्ष 2009–10 में नैसर्गिक आपदाओं से निपटने के लिये आपदा राहत निधि के अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में रूपये 48 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

8. कृषि को और उन्नत बनाने के लिये प्रदेश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश के सभी 313 विकास खण्डों को कम्प्यूटर से सीधे जोड़ते हुये कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। राज्य में पहला कृषि आधारित कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन विदिशा जिले के सिरोंज में स्थापित किया गया है।

9. कृषकों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन की समस्त जानकारियां निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिये किसान काल सेंटर की स्थापना भोपाल में की गई है, जिसका लाभ कृषकों द्वारा उठाया जा रहा है।

10. कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सतत् प्रयास जारी है। प्रदेश के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुये विभिन्न महाविद्यालयों एवं अनुसंधान केन्द्रों के समन्वय को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये ग्वालियर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। प्रदेश में पृथक से जबलपुर में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की भी स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

11. मध्य प्रदेश में उद्यानिकी के माध्यम से कृषकों के आर्थिक उन्नयन के लिये समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के तहत मिर्च, लहसुन एवं धनिया का उत्पादन 13425 हेक्टेयर क्षेत्र में लिया जा रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की दृष्टि से इसके प्रमाणीकरण हेतु कार्यवाही जारी है।

12. इस प्रकार वर्ष 2009–10 में कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु रूपये 1686 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जबकि गत वर्ष रूपये 1305 करोड़ का प्रावधान था।

13. हमारी सरकार का वायदा था कि हम कृषकों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये प्रयास करेंगे। गत वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हमारी सरकार ने गेहूँ के लिये रूपये 100/–प्रति क्विंटल बोनस दिया था। इससे न केवल प्रदेश के किसानों को राहत मिली बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस निर्णय की सराहना की गई। इसके फलस्वरूप वर्ष 2008–09 में 24 लाख टन गेहूँ का उपार्जन हुआ जबकि उसके पूर्व के वर्ष में 5,70,000 टन का उपार्जन हुआ था। इस वर्ष भी किसानों को गेहूँ की खरीदी पर बोनस देने के लिये रूपये 90 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

14. वर्ष 2009–10 में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण हेतु रूपये 4200 करोड़ का लक्ष्य है। राज्य में कृषि एवं गैर कृषि प्रयोजनों के लिये रूपये 275 करोड़ का लक्ष्य दीर्घकालीन साख हेतु रखा गया है।

<u>सिंचाई</u>

15. प्राकृतिक जल संसाधनों के समुचित उपयोग के प्रयास के फलस्वरूप विगत पांच वर्ष की अवधि में 5.78 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।

16. वर्तमान में 18 वृहद, 08 मध्यम एवं 825 लघु सिंचाई योजनायें निर्माणाधीन हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर शासकीय स्त्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता में

12.78 लाख हेक्टेयर वृद्धि अनुमानित है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में कुल 403 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनसे इस क्षेत्र में 3.81 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

17. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश को आवंटित 18.25 मिलियन एकड़ फीट जल संपदा का उपयोग किये जाने हेतु प्रदेश में नर्मदा घाटी का समग्र विकास किये जाने का लक्ष्य है। नर्मदा नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर 29 वृहद, 135 मध्यम और 3000 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है। अब तक नर्मदा नदी पर 6 वृहद परियोजनाएं निर्मित हो चुकी हैं। इस वर्ष 1,32,287 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता के विस्तार का लक्ष्य है। नर्मदा बेसिन में मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के शीघ्र निर्माण तथा सिंचित क्षेत्र शीघ्र विकसित करने के उद्देश्य से नर्मदांचल मध्यम तथा लघु सिंचाई योजना परिषद् का गठन किया गया है।

18. सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये वर्ष 2009–10 में आयोजनागत व्यय हेतु रूपये 2485 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2008–09 के बजट अनुमान से रूपये 627 करोड़ अधिक है।

ऊर्जा

19. प्रदेश में बिजली की मांग एवं उपलब्धता के अंतर को दूर करने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता वृध्दि के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 2008–09 में बिरसिंहपुर तथा अमकंटक ताप इकाईयों से लगभग 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी के साथ–साथ, अंशपूँजी के रूप में वर्ष 2009–10 में रूपये 125 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाना प्रस्तावित है। नवीन उत्पादन क्षमता कार्यक्रम के अंतर्गत 1200 मेगावाट की श्रीसिंगाजी ताप योजना एवं **2X250** मेगावाट की सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाईयों के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष अमरकंटक ताप विद्युतगृह

की 120 मेगावाट की दोनों इकाईयों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

20. वर्ष 2008–09 में ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 6 नये 220 के.व्ही. उपकेन्द्रों तथा 8 नये 132 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2008–09 में ट्रांसमिशन प्रणाली में लगभग 450 एमवीए की क्षमतावृद्धि की गई है। प्रदेश में वर्ष 2008–09 के दौरान 7019 मेगावॉट अधिकतम मांग की आपूर्ति की गई, जो कि प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। वर्तमान में प्रदेश में ट्रांसमिशन हानियों का स्तर 4.11 प्रतिशत है, जो कि पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा देश की अन्य अग्रणी ट्रासंमिशन कंपनियों के समकक्ष है। वर्ष 2009–10 में ट्रांसमिशन कार्यों के लिए राज्य शासन द्वारा रूपये 151 करोड़ अंशपूँजी के रूप में तथा एशियन विकास बैंक से रूपये 300 करोड़ का ऋण प्रावधान प्रस्तावित है।

21. उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। एशियन विकास बैंक द्वारा इन कंपनियों को लगभग रूपये 1700 करोड़ के स्वीकृत ऋण के अंतर्गत इस वर्ष वितरण कंपनियों द्वारा रूपये 300 करोड़ का उपयोग विशेष रूप से एच.व्ही.डी.एस. (उच्च दाब वितरण प्रणाली) एवं फीडर विभक्तीकरण के कार्यों के लिए किया जायेगा। इन कार्यों से तकनीकी हानियों के साथ–साथ वाणिज्यिक हानियों में भी कमी आयेगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज पर विद्युत दिया जाना संभव हो सकेगा।

22. वितरण कंपनियों को राज्य शासन द्वारा वर्ष 2009–10 में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु रूपये 291 करोड़ प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। वितरण फ्रेंचायजी के माध्यम से भी वितरण हानियों में कमी लाने तथा उपभोक्ता सेवाओं में बेहतरी लाने के लिये वितरण कंपनियां प्रयासरत हैं।

23. ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत वितरण कंपनियों द्वारा भारत सरकार को प्रेषित 48 योजनाओं में से 32 योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस वर्ष राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कुल रूपये 500 करोड़ के कार्य प्रस्तावित हैं। इसके

अतिरिक्त भारत सरकार की पुनरीक्षित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम योजनान्तर्गत भी प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों की रूपये 228 करोड़ की 82 योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

24. इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण एवं उप पारेषण तथा वितरण हेतु रूपये 2817 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

सड़क, परिवहन

25. प्रदेश में सड़कों के निरंतर विकास को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। हमारी सरकार ने सड़कों में निजी निवेश बढ़ाने की दृष्टि से जन निजी भागीदारी (**PPP**) अंतर्गत अभिनव प्रयास किये हैं। देश में इस व्यवस्था में न केवल हम अग्रणी हैं बल्कि हमारी सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है।

26. वर्ष 2008–09 में प्रदेश की 3951 कि. मी. लम्बाई की सड़कों, 26 पुलों एवं 1 रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण की योजना क्रियान्वित की गई। इसके अतिरिक्त जन निजी भागीदारी के अंतर्गत प्रदेश में उच्च गुणवत्ता की 2798 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है। सड़कों के विशेष मरम्मत अभियान के अंतर्गत 4232 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण भी कराया गया है।

27. प्रदेश सरकार का संकल्प है कि राजधानी से सभी संभाग मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से, सभी जिला मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों तथा सभी तहसील मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ा जावे।

28. वर्ष 2009–10 के लिये प्रदेश की सड़कों के विकास के लिये रूपये 2489 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत 2367 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया जावेगा। इसके अतिरिक्त एशियन विकास बैंक की सहायता से 1833 कि. मी. नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। वर्ष 2009–10 में जन निजी भागीदारी के 706 कि.मी. सड़क निर्माण के कार्य प्रचलित है।

29. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2008–09 में रूपये 2199 करोड़ व्यय किया जाकर 7893 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष

2009–10 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 9936 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है तथा इस हेतु रूपये 2499 करोड़ व्यय किये जाने प्रस्तावित है।

30. इस प्रकार राज्य शासन द्वारा सड़कों के विकास हेतु रूपये 4988 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जन–निजी भागीदारी से रूपये 1500 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। अतः सड़क विकास के लिए कुल रूपये 6488 करोड़ की राशि उपलब्ध रहेगी।

शिक्षा

31. सुदृढ प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ शिक्षित समाज है। प्रदेश में गत वर्षो में शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं गुणात्मक सुधार लाने के लिये हमने कई ठोस कदम उठाये हैं। प्रदेश का कोई भी बालक/बालिका शाला जाने से वंचित न रहे इसके लिये उसकी बसाहट के एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शाला खोलना सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्रों में जहां आबादी का अनुपात कम है वहां 10 बच्चों की उपलब्धता पर 919 सेटेलाईट शालायें खोली गई हैं।

32. बालिकाओं की शिक्षा पर हमने विशेष ध्यान दिया है। इसके लिये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास की योजना प्रारंभ की गई है। कक्षा छठवीं एवं नवीं में जाने वाली सभी वर्ग की बालिकाओं को इस वर्ष निःशुल्क साईकिल प्रदान करने हेतु रूपये 68 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारे इन निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर नामांकन 104 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 99 प्रतिशत हो गया है।

33. इस वर्ष से सामान्य निर्धन वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को सुदामा छात्रवृत्ति दी जा रही है। विकलांग बच्चों के लिये हमने छात्रावासीय योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत गत वर्ष 40 छात्रावास प्रारंभ किये गये हैं, इस वर्ष 50 ऐसे नए छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे।

34. शिक्षा के क्षेत्र में मैदानी कार्यकर्ताओं को उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से संपूर्ण शिक्षित ग्राम योजना लागू की है। वर्ष 2009–10 में

नवीन मद के रूप में इस योजना को सम्मिलित किया गया है तथा रूपये 4 करोड़ की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

35. वर्ष 2009–10 में 285 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए भवन निर्माण हेतु रूपये 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2009–10 में 684 माध्यमिक शाला भवन का निर्माण किया जायेगा तथा 18,500 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में 200 मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूलों एवं 200 कन्या छात्रावासों की स्थापना प्रस्तावित है। वर्ष 2009–10 में रिक्त पदों पर 28000 शिक्षकों की भर्ती की जायेगी।

36. इस प्रकार वर्ष 2009–10 में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत कुल रूपये 4700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जबकि वर्ष 2008–09 में रूपये 4262 करोड़ का प्रावधान रखा गया था।

37. प्रदेश के विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये हम कटिबद्ध हैं। प्रत्येक महाविद्यालय में कंप्यूटर सहायित अध्ययन हेतु कंप्यूटर तथा एल सी डी प्रोजेक्टर दिये गये हैं। मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है, जहां पर संपूर्ण प्रदेश में सेमेस्टर प्रणाली सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आये हैं। महाविद्यालयों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर 41 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत रह गई है। पहली बार उच्च शिक्षा को व्यवहारिक प्रशिक्षण से जोड़ा गया है, तथा इग्नू के 50 सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

38. शासकीय महाविद्यालायों में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिस शासकीय महाविद्यालय में शत–प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे उस महाविद्यालय के प्राचार्य को एक बार रूपये 50,000/–, शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं नये विकल्प इत्यादि की खोज के लिये विदेश यात्रा हेतु, प्रदान किये जायेंगे।

39. निःशक्त विधार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये प्रति छात्र रूपये 8000/– प्रतिमाह की शोध छात्रवृत्ति वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की जा रही है। इसके अतिरिक्त निःशक्त विद्यार्थियों को वाहन भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। यह नगर निगम क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थियों को रूपये 500/–तथा नगर पालिका क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थियों को रूपये 300/– प्रतिमाह दिया जायेगा।

40. संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई है।

41. मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के दूर–दराज इलाकों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ, सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन एवं गांधी सृजन पीठ, जबलपुर के माध्यम से उच्च शिक्षा के अंतर्गत शोध कार्य किये जा रहे हैं।

42. प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता के दृष्टिगत तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृध्दि हुई है। देश के कई ख्यातिमान शिक्षण संस्थाओं ने मध्यप्रदेश में अपने केन्द्र स्थापित किये है। हमारी सरकार ने इंदौर में स्थापित आई.आई.टी., भोपाल में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालाजी (निफ्ट), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाईन तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एज्युकेशनल रिसर्च हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई है। वर्ष 2009–10 में निफ्ट के लिए रूपये 30 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित है।

43. प्रदेश के 22 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार के लिये निजी भागीदारी से प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। 14 जिलों में नवीन पालीटेकनिक महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे है। तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2009–10 में रूपये 261 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी

44. परंपरागत एवं प्राचीन तकनीकी ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का आधार प्रदान कर ग्रामीण समाज की उन्नति तथा लाभ के लिए प्रयोग में लाने हेतु रूरल टेक्नॉलॉजी एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है जिसके लिए इस वर्ष के बजट में रूपये 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

45. राज्य के सभी जिलों का जिला संसाधन एटलस तैयार करने का कार्य मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जिले के अधिकारियों, योजनाकारों, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा आमजन को जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना है। इस योजना हेतु बजट में रूपये 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

46. हमारी सरकार की स्वास्थ्य सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है एवं इसे विशेष प्राथमिकता प्रदान करने की दृष्टि से गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

47. संस्थागत प्रसव हेतु जननी सुरक्षा योजना के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होने प्रारंभ हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। वर्ष 2003–04 में जहाँ संस्थागत प्रसव 26 प्रतिशत था, वह वर्ष 2008–09 में बढ़कर 66.7 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2008–09 में 11.38 लाख हितग्राही इससे लाभान्वित हुए है। मातृ मृत्यु दर वर्ष 2001–03 में जहां 379 थी वह वर्ष 2004–06 में घटकर 335 हो गई है। जननी सुरक्षा योजना में किए गए प्रयासों का परिणाम आगामी वर्षों में और अधिक परिलक्षित होंगे।

48. गरीबों को गुणवत्तायुक्त एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी सरकार की चिन्ता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के तहत वर्ष 2009–10 में रूपये 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2009–10 में चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु रूपये 15 करोड़ तथा आयुष विभाग के अधीन

चिकित्सालयों हेतु रूपये 2 करोड़ का प्रावधान भी पृथक से प्रस्तावित किया गया है।

49. स्वास्थ्य संस्थाओं की भौतिक अधोसंरचना की कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 161 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तथा 10 जिला चिकित्सालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। जिला अस्पतालों में 9000 शैय्यायें स्वीकृत थी, जिन्हें बढ़ाकर 13400 कर दिया गया है। इसके अनुरूप चिकित्सकों, नर्सिंग एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के 6000 पदों की स्वीकृति भी दी गई है।

50. प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रोग निदान सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए 10 क्षेत्रीय नैदानिक केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। इन केन्द्रों में गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों की गहन जांच एवं उपचार की व्यवस्था की गई है।

51. भारतीय सिद्ध, आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के सम्यक् विकास की दिशा में भी हमारी सरकार प्रयत्नशील है। सितंबर, 2008 में पृथक आयुष विभाग का गठन किया गया है।

52. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2009–10 के अतंर्गत रूपये 1563 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो वर्ष 2008–09 में रूपये 1389 करोड़ था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में रूपये 962 करोड़ की योजना स्वीकृत है, जिसमें राज्यांश सम्मिलित है।

महिला एवं बाल विकास

53. महिला एवं बाल विकास हमारी सरकार की सदैव प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में हम तीसरी बार जेण्डर बजट पृथक से प्रस्तुत कर रहे हैं। बालिकाओं के लिए चलाई जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। इस योजना में वर्ष 2009–10 में रूपये 276 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जबकि गत वर्ष रूपये 148 करोड़ का प्रावधान था।

54. महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिये सतत गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। इस वर्ष से पोषण आहार उपलब्ध कराये जाने हेतु गत वर्ष की तुलना में दो–गुनी राशि का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष प्रदेश में आई. सी. डी. एस. तृतीय चरण में 9,691 आंगनबाड़ी केन्द्र, 9820 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, एवं 86 नवीन एकीकृत बाल विकास परियोजनाऐं प्रारंभ की जायेंगी।

55. महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये वर्ष 2009–10 में रूपये 1655 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जबकि वर्ष 2008–09 में रूपये 914 करोड़ का प्रावधान किया गया था ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

56. हमारी सरकार ने गरीबों के हित में कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम क्रियान्वित किये हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को रियायती दर पर 3/– रूपये प्रति किलो गेहूँ तथा 4.50 रूपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 में इस योजना हेतु रूपये 240 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

57. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये अधोसंरचना विकास के अधिक से अधिक कार्य प्रारंभ किये गये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत संचालित योजना में गत वर्ष हमने रूपये 3551 करोड़ का व्यय कर 2946 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया था। इस प्रकार हम देश में द्वितीय स्थान पर रहे। इस वर्ष भी अधिकाधिक रोजगार सृजित करने के प्रयास किए जायेंगे।

58. मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजनांतर्गत 09 जिलों में 12000 परिवारों को आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 2009–10 में 16200 परिवारों को आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना पर लगभग रूपये 95 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

59. विश्व बैंक की सहायता से संचालित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश के अच्छे कार्य को

देखते हुये द्वितीय चरण में रूपये 1025 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसमें लगभग 9500 ग्रामों में कार्य किया जायेगा।

60. उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये संचालित योजनाओं में वर्ष 2009–10 में बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड में रूपये 546 करोड़, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में रूपये 154 करोड़, समग्र स्वच्छता अभियान में रूपये 32 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2009–10 में कुल रूपये 2463 करोड़ का प्रावधान है।

61. प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को पंचायतों के विकास, नियमन और सामान्य प्रशासन के लिये उत्तरदायी बनाया गया है। हमने वादा किया था कि जिला एवं जनपद पंचायत के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के मानदेय में वृध्दि की जायेगी। हमने इस घोषणा के अनुरूप वृध्दि कर दी है।

62. पंचायत सचिवों द्वारा 3 वर्ष की सेवा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान, तथा अध्यापक संवर्ग के बराबर मंहगाई भत्ता तथा रूपये 250 रूपये प्रतिमाह निश्चित यात्रा भत्ता दिया जा रहा है।

<u>सामाजिक न्याय</u>

63. हमारी सरकार द्वारा निःशक्त, वृद्ध एवं निराश्रित व्यक्तियों के कल्याण हेतु कई नवीन योजनायें प्रारंभ की गई हैं, जिनके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। खेतिहर भूमिहीन मजदूरों के लिये मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना हेतु रूपये 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत 14,16,589 हितग्राही पंजीकृत किये जा चुके हैं। आम आदमी बीमा योजना हेतु रूपये 15 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। जरूरतमंद परिवारों की कन्या/विधवा/परित्यक्ता के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिये रूपये 25 करोड़ प्रस्तावित हैं। सरकार नशामुक्ति के लिए भी दृढ़संकल्पित है। वर्ष 2009–10 में पहली बार इसके लिए रूपये 3 करोड़ का विशेष बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

64. इस वर्ष से 06 से 14 वर्ष के बहुविकलांग विद्यार्थियों को रूपये 500/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु रूपये 8 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त, विधवा एवं वृध्दावस्था पेंशन तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत रूपये 479 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 310 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस प्रकार समाज कल्याण के क्षेत्र में वर्ष 2009–10 में कुल रूपये 907 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि गत वर्ष रूपये 505 करोड़ था।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास

65. आदिम जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना निर्माण के लिए क्रमशः रूपये 3869 करोड तथा रूपये 2497 करोड़ का व्यय राज्य आयोजना अंतर्गत प्रस्तावित है। उक्त दोनों उपयोजना में गत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 28 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

66. प्रदेश के जिलों में ऐसे विशेष क्षेत्रों की पहचान की गई है जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अत्याचार की घटनाएं अधिक होना पाया गया है। इन परिलक्षित क्षेत्रों के विकास हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में आधारभूत सुविधायें यथा स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, पेयजल, स्वरोजगार, अधोसंरचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु बजट में रूपये 4 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

67. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 का प्रदेश में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन में हमारे प्रयासों की देश में न केवल सराहना हुई है, वरन् कई प्रदेशों के अधिकारी हमारे प्रदेश में प्रशिक्षण लेने आये हैं तथा हमारी प्रक्रिया को अपने राज्य में अपना रहे है।

68. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 35 महिलाओं को चमड़े से बनी वस्तुओं के विनिर्माण में उच्च कोटि के प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जा रहा

है। ऐसी महिला प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित होकर स्वयं का रोजगार कर सकेंगी एवं मास्टर ट्रेनर के रूप में अन्य को प्रशिक्षण दे सकेंगी।

69. जिला मुख्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को जो पी.एम.टी./पी.ई.टी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, को प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि इस वर्ष से रूपये 375/– से बढ़ाकर छात्रों हेतु रूपये 500/– एवं छात्राओं हेतु रूपये 525/–प्रतिमाह की जा रही है।

एक रात को आसमाँ का निजाम दे दे मेरे
मैं सारे तारे उठाकर गरीबो में बाँट दूँ।।

नगरीय विकास

70. नगरीय अधोसंरचना विकास तथा सेवाओं में सुधार कार्यों हेतु राज्य शासन प्रतिबद्ध है। शहरी विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल रूपये 766 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन, प्रोजेक्ट उदय, एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती कार्यक्रम, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा उद्ग्रहीत कर आदि की नगरीय निकायों को अभिहस्तांकित राशि रूपये 1900 करोड़ उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जबकि गत वर्ष रूपये 1531 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

71. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन के अंतर्गत अभी तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं जबलपुर शहरों के लिये रूपये 2600 करोड़ की लागत की 42 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें भोपाल शहर में नर्मदा जल प्रदाय वितरण के लिये रूपये 415 करोड़ की परियोजना भी शामिल है। इस वर्ष जे.एन.एन.यू.आर.एम. में रूपये 189 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है।

72. छोटे तथा मझोले नगरों की शहरी अधोसरंचना विकास की योजना के अंतर्गत अभी तक रूपये 762 करोड़ लागत की 47 परियोजनाओं की स्वीकृति

प्राप्त हुई है। वर्ष 2008–09 में रूपये 141 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। वर्ष 2009–10 में रूपये 450 करोड़ की 11 योजनाएं भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है। रूपये 40 करोड़ का राज्यांश भारत सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में इस वर्ष प्रस्तावित है।

73. नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु रूपये 22 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है तथा पेयजल पूर्ति के लिए नगर निगम उज्जैन, भोपाल तथा कोलार नगरपालिका हेतु रूपये 10.92 करोड़ ऋण का प्रावधान प्रस्तावित है।

74. शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अभी तक 59,005 आवासीय इकाईयों का निर्माण स्वीकृत है। वर्ष 2009–10 में 30,000 से अधिक इकाईयों का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा। साथ ही वर्ष 2008–09 में शहरी क्षेत्रों में निवासरत् 30769 आवासहीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टे प्रदान किये गये हैं।

75. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं जबलपुर शहरों में शहरी यातायात सुगम बनाने के उद्देश्य से रूपये 194 करोड़ लागत की 525 नवीन बसों के प्रदाय की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

76. हाथ ठेला एवं सायकिल रिक्शा चालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु योजना बनाई गई है। इस योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता तथा दुर्घटना में अनुग्रह सहायता उपलब्ध होगी। इस योजना हेतु रूपये 60 लाख की राशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

77. इस प्रकार नगरीय अधोसंरचना तथा सेवाओं में सुधार हेतु इस वर्ष रूपये 2703 करोड़ की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। यह वर्ष 2008–09 से 28 प्रतिशत अधिक है।

पेयजल व्यवस्था

78. अल्पवर्षा से नगरीय व ग्रामीण बसाहटों में जल प्रदाय की व्यवस्था प्रभावित हुई है, हमारी सरकार का प्रयास इसे पुनर्स्थापित करने का है। ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं हेतु रूपये 663 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

वाणिज्य एवं उद्योग

79. मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिये इंदौर एवं जबलपुर में देशी एवं विदेशी निवेशकों हेतु आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में अप्रत्याशित सफलता मिली। इनसे प्रोत्साहित होकर सागर एवं ग्वालियर में भी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में इच्छुक निवेशकों ने भाग लिया। इससे प्रदेश में पूँजी निवेश की गति में वृद्धि हुई है। भारत के कार्पोरेट सेक्टर द्वारा निवेश हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश 5.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ राज्यों की सूची में छठवें स्थान पर है।

80. दिल्ली मुम्बई के बीच ''डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर'' की स्थापना के फलस्वरूप कॉरीडोर के समीपस्थ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के अवसर उत्पन्न होंगे। इन अवसरों का समुचित लाभ लेने हेतु राज्य शासन द्वारा दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजना में निवेश किया जा रहा है। इस परियोजना से धार, नीमच, उज्जैन, शाजापुर जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में विश्वस्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जायेगी, जिससे इन क्षेत्रों का औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। डी.एम.आई.सी. परियोजना हेतु वर्ष 2009–10 में रूपये 9 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

81. बीमार एवं बंद लघु उद्योगों के पुनर्वास की दिशा में लागू की गई उद्योग मित्र योजना के अनुकूल प्रभाव को देखते हुये इस योजना की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाई गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास की सुदृढ़, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु इंदौर के अतिरिक्त उज्जैन में भी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की स्थापना की गई है। प्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग को

बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2009–10 में रूपये 159 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

पर्यटन

82. प्रदेश की अधोसंरचना में हुए सुधार तथा पर्यटक केन्द्रों पर निर्मित की गई सुविधाओं के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। पर्यटन में सुगम पूंजी निवेश के लिए शासकीय भूमि के निवर्तन की नीति के सकारात्मक परिणाम मिलने आरंभ हो गये हैं। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम अब निरन्तर लाभ अर्जित कर रहा है। प्राणपुर जिला अशोकनगर को वर्ष 2007–08 का सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटक परियोजना का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। पर्यटक स्थलों के विकास के साथ–साथ पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुये पर्यटन विकास हेतु वर्ष 2009–10 में रूपये 58 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त पर्यटक स्थलों के विकास हेतु अधोसंरचना विकास में रूपये 99 करोड़ का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

खेल एवं युवक कल्याण

83. हमारी सरकार ने निरन्तर खेल एवं युवक कल्याण को बढ़ावा देने की दृष्टि से बजट में कई गुना वृध्दि की है। वर्ष 2009–10 में रूपये 58 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2008–09 से 23 प्रतिशत अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधायें एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से भोपाल के समीप सतगढ़ी में 172 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसे निजी भागीदारी से विकसित किया जा रहा है। पंचायत युवा क्रीड़ा तथा खेल अभियान योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अधोसंरचना निर्माण कार्य तथा खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2009–10 में रूपये 8 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

कानून व्यवस्था

84. प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे है। हाल ही में देश में हुई घटनाओं को

देखते हुए प्रदेश में 'आतंकवाद निरोधी दस्ता' (ए.टी.एस.) की स्थापना की गई है। नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए अपराधों को नियंत्रित करने के लिए नवीन थानों की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है। वर्ष 2009–10 में गृह विभाग के लिए रूपये 1606 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

कर्मचारी कल्याण

85. हमारी सरकार ने कर्मचारी कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि केन्द्र शासन द्वारा छटवें वेतनमान की घोषणा के अनुरूप हमने प्रदेश के कर्मचारियों के हित को देखते हुए छ्टवां वेतनमान दे दिया है। अग्रवाल आयोग की अनुशंसा के आधार पर अन्य सुविधाओं का लाभ देने पर विचार किया जायेगा। छटवें वेतनमान के फलस्वरूप राज्य के वेतन के खर्चे में वर्ष 2007–08 की तुलना में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों के वेतन में भी वृद्धि की गई है।

86. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को जुलाई माह के वेतन से 4 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिया जायेगा। राज्य के पेंशनरों के लिये अतिरिक्त मंहगाई राहत भी इसी दर पर देय होगी। इसके कारण राज्य शासन पर रूपये 400 करोड़ का वार्षिक व्यय भार आयेगा। छटवां वेतनमान के आधार पर पेंशनर्स की पेंशन भी पुनरीक्षित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रशासनिक सुधार

87. इस वर्ष से वन विभाग के भी समस्त आहरणों को कोषालयीन व्यवस्था से जोड़ा गया है। इस प्रकार अब प्रदेश में सभी विभागों के आहरण कम्प्यूटरीकृत कोषालयीन व्यवस्था अंतर्गत हो रहे है।

88. प्रदेश में सभी प्रकार के शासकीय भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सिस्टम के माध्यम से करने की योजना है, जिससे त्वरित भुगतान संभव होगा।

89. प्रदेश के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम प्राप्त करने में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए संबंधित प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है।

वर्ष 2008–09 का पुनरीक्षित अनुमान

90. पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियां रूपये 34949 करोड़ तथा राजस्व व्यय रूपये 31778.94 करोड़ हैं। आयोजनेतर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 24663.19 करोड़ तथा आयोजना व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 15706.80 करोड़ है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 3170. 06 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 5371.16 करोड़ है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत होने से मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अपेक्षा अनुसार वर्ष 2008–09 के लिये निर्धारित सीमा 3.5 प्रतिशत के भीतर है।

राजस्व प्राप्तियां

91. वर्ष 2009–10 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रूपये 39961.03 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां रूपये 16075.45 करोड़, करेतर राजस्व प्राप्तियां रूपये 3936.54 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां रूपये 11047.41 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां रूपये 8901.63 करोड़ अनुमानित है।

92. केन्द्र से राज्यों को उनकी संचित निधि के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सहायता के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं को सीधे लगभग रूपये 9806 करोड़ की सहायता भी उपलब्ध हो रही है। यह धनराशि लोक वित्त का अंश है परंतु राज्य के शासकीय लेखे का भाग नहीं। वर्ष 2008–09 से केन्द्र सरकार से राज्य शासन की संस्थाओं को प्राप्त होने वाली सहायता राशि का विवरण भी पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

93. वर्ष 2009–10 में राज्य करों के अंतर्गत बिक्री–व्यापार आदि पर कर से रूपये 8012 करोड़, राज्य उत्पाद शुल्क से रूपये 2760 करोड़, स्टाम्प तथा

पंजीयन शुल्क से रूपये 1560 करोड़ एवं माल तथा यात्रियों पर कर से रूपये 1460 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित है।

आयोजनेतर व्यय

94. आयोजनेतर व्यय का अनुमान रूपये 27416.77 करोड़ है। इसके अंतर्गत वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान पर अनुमानित व्यय का राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 39.85 प्रतिशत है।

आयोजना व्यय

95. वर्ष 2009–10 के लिये आयोजना व्यय का बजट अनुमान रूपये 19028.03 करोड़ है जिसमें राज्य आयोजना अंतर्गत रूपये 16114.17 करोड़ शामिल है । अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिये रूपये 3869.30 करोड़ तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये रूपये 2496.85 करोड़ का प्रावधान है। आयोजना व्यय का अनुमान कुल व्यय का 40.97 प्रतिशत है। आयोजना अंतर्गत पूंजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित परिव्यय रूपये 7742.26 करोड़ है।

शुद्ध लेन–देन

96. वर्ष 2009–10 की कुल प्राप्तियां रूपये 46580.48 करोड़ तथा कुल व्यय रूपये 46444.80 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन–देन रूपये 135.68 करोड़ एवं अंतिम शेष रूपये ऋणात्मक 102.96 करोड़ होगा।

राजकोषीय स्थिति

97. कुल राजस्व व्यय रूपये 38262.12 करोड़ एवं कुल राजस्व प्राप्तियां रूपये 34961.03 करोड़ होने से राजस्व आधिक्य रूपये 1698.91 करोड़ अनुमानित है। आगामी वर्ष में राजस्व आधिक्य की स्थिति निरंतर रहने का अनुमान है।

98. वर्ष 2009–10 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान रूपये 6436.41 करोड़ है। केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2009–10 के बजट में राज्यों द्वारा उनके राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अधिकतम 4 प्रतिशत रखे जाने की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राजकोषीय

उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में पृथक से संशोधन विधेयक लाया जायेगा। केन्द्रीय सरकार के बजट भाषण 2009–10 के अनुरूप वर्ष 2009–10 में राजकोषीय घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत अधिकतम 4 होना चाहिये। राजकोषीय घाटा इस अपेक्षा के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर 3.73 प्रतिशत रहेगा।

99. ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2008–09 के बजट अनुमान अनुसार 13.05 प्रतिशत था तथा वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमान में इसके 12.83 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राजकोषीय सुधार के अंतर्गत इस अनुपात को वर्ष 2009–10 में अधिकतम 15 प्रतिशत होना चाहिये। इस तरह इस संकेतक में सुधार की दृष्टि से बारहवें वित्त आयोग द्वारा निश्चित लक्ष्य राज्य के द्वारा 2007–08 में ही प्राप्त कर लिया गया था।

100. राज्य के कुल दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 31 मार्च, 2008 को 42.73 प्रतिशत था। पुनरीक्षित अनुमान अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2009 को यह अनुपात घटकर 41.24 प्रतिशत रहने तथा वर्ष 2009–10 के बजट अनुमान अनुसार इसके दिनांक 31 मार्च, 2010 को 40.70 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस संकेतक में हो रहे सुधार के अनुसार मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अनुसार अपेक्षित लक्ष्य की ओर राज्य अग्रसर है।

.....

भाग–2

अध्यक्ष महोदय

1. माननीय केन्दीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण में यह घोषणा की गई है कि वस्तु तथा सेवा कर प्रणाली – जीएसटी, अगले वित्तीय वर्ष से लागू की जायेगी। इस कर प्रणाली का जो ढांचा प्रस्तावित है उसके संबंध में राज्य सरकार की कुछ चिन्तायें एवं आशंकाएं हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहां गंभीर आर्थिक विषमताएं एवं गरीबी व्याप्त है, एक ही दर से समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर करारोपण किया जाना न्यायोचित एवं व्यवहारिक नहीं है। इससे गरीबों पर करों का बोझ बढ़ेगा और विलासिता की वस्तुओं पर बोझ कम होगा।

2. जी.एस.टी. के लिये प्रस्तावित 16 प्रतिशत की दर इस आशा पर आधारित है कि सेवाओं की खपत पर करारोपण से पर्याप्त राजस्व प्राप्त होगा। अन्य देशों में यह इसलिये संभव हो सका था क्योंकि वहां पर जीएसटी लागू करने के पूर्व सेवाओं पर करारोपण नहीं था जबकि अपने देश में पहले से ही सेवाओं पर करारोपण मौजूद है। विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में सेवाओं की निजी घरेलू खपत अपेक्षाकृत कम है, विशेषकर पिछड़े हुये राज्यों में। इस कारण जीएसटी कर प्रणाली में वस्तुओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में हानि की पूर्ति सेवाओं से प्राप्त राजस्व से नहीं हो सकेगी। वस्तुओं तथा सेवाओं के अन्तर्राज्यीय व्यापार पर जीवन्त निगरानी रखने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना की आवश्यकता होगी। इसके विकास के लिये दो वर्ष का समय चाहिये, अन्यथा ऐसे व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व में राज्यों को अत्यधिक हानि होगी।

3. हमें अंदेशा है कि नई कर प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तावित दर के कारण राज्यों को राजस्व की हानि स्थाई रूप से होगी। संविधान के द्वारा राज्यों को सौंपे गये उत्तरदायित्वों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें उपलब्ध वित्तीय संसाधन अत्यंत सीमित हैं। राज्यों को उपलब्ध करारोपण की शक्तियों में विक्रय कर सर्वाधिक

महत्वपूर्ण है। इस अधिकार को सीमित करने से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

4. हमारा केन्द्र सरकार को यह सुझाव है कि पहले वे राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रणालियों का एकीकरण कर मैन्यूफैक्चरिंग स्तर पर केन्द्रीय जीएसटी लागू करें, जिससे प्रस्तावित कर प्रणाली से संभावित राजस्व का सही आंकलन कर तद्नुसार कर का ढांचा निश्चित किया जा सके। तत्पश्चात् यह कर प्रणाली राज्यों में लागू करने पर विचार किया जाये तथा कर का ढांचा तय करने हेतु राज्यों को पर्याप्त संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो।

5. प्रदेश में कर – प्रशासन को अधिक पारदर्शी तथा दक्ष बनाये जाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। परिवहन विभाग अंतर्गत परमिट फीस आदि इन्टरनेट के माध्यम से जमा करने की सुविधा अत्यंत लोकप्रिय हुई है। आयुक्त, वाणिज्यक कर संगठन की नवीन कम्प्यूटरीकरण परियोजना अंतर्गत मशीनों की स्थापना की जा रही है तथा शीघ्र ही नये एप्लीकेशन साफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास है। इससे व्यवसाईयों द्वारा ऑनलाईन कर का भुगतान किया जा सकेगा तथा विवरण पत्रक एवं विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र ऑन लाईन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। वैट की वापसी भी कोषालय से इलेक्ट्रानिक क्लीयरेंस सिस्टम से की जा सकेगी, जिससे यह प्रक्रिया सरल हो जायेगी।

6. उपग्रहों के माध्यम से सीधे घरों में पहुंचने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों पर अभी इसके मालिकों द्वारा राज्य को देय मनोरंजन शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है। इसी तरह मोबाईल दूर संचार कंपनियों द्वारा इस प्रौद्योगिकी का उपयोग मनोरंजन के उत्पादों के विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु किया जा रहा है, परन्तु उन उत्पादों तथा प्रदर्शनों के लिये देय मनोरंजन शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य शासन ने इसे वसूलने के लिये वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की है। मनोरंजन शुल्क के कर अपवंचन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिये मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क व विज्ञापन अधिनियम, 1936 की धारा 5 में संशोधन कर कठोर दण्ड का प्रावधान प्रस्तावित है।

7. प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु कतिपय चिन्हित स्थानों के लिये नये होटलों को विलासिता शुल्क में 8 वर्ष की छूट उपलब्ध है। इस नीति का युक्तियुक्तकरण करते हुये यह छूट प्रदेश के सभी अंचलों के नये होटलों को उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। प्रदेश के 4 प्रमुख व्यापारिक नगरों – इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र खजुराहो में नये होटलों को यह छूट 5 वर्ष की अवधि के लिये तथा अन्य स्थानों के लिये छूट की अवधि 8 वर्ष होगी। इससे प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास की गति में और अधिक वृद्धि होगी।

8. हमने विगत वर्षों में वेट की दरों का युक्तियुक्तरण करते हुए व्यवसायिक संगठनों एवं आम जनता को बहुत सी वस्तुओं पर राहत प्रदान की है। पूर्व की भांति हम इस वर्ष भी खाद्यान्न, दलहन, शक्कर, खांडसारी, कपड़ा आदि जीवन उपयोगी वस्तुओं को वेट से मुक्त रखेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वेट की दरों एवं वेट संग्रहण की प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है :–

(1) राज्य में विद्युत ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये प्राकृतिक गैस पर वेट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में रू. 5 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

(2) प्रदेश के शहरों को प्रदूषण मुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाहनों में उपयोग में आने वाली सीएनजी, जो वेट चुकाकर क्रय की गई नेचुरल गैस से बनाई गई हो, को वेट से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 1 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

(3) नारियल तथा साबूदाने को वेट कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे रूपये एक करोड़ की राजस्व हानि चालू वित्तीय वर्ष में होना अनुमानित है।

(4) कुटीर उद्योगों व्दारा निर्मित कच्चे पोटाटो चिप्स, सिंवई एवं फिंगर चिप्स, तथा आटा चक्की को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

इससे चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 50 लाख की राजस्व हानि अनुमानित है।

(5) केरोसिन बत्ती/प्रेशर स्टोव्ह तथा टाटपट्टी को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 50 लाख राजस्व हानि का अनुमान है।

(6) टेन्ट हाउस व्यवसाय के लिये वेट अन्तर्गत कम्पोजिशन की स्कीम लागू करना प्रस्तावित है।

(7) कपास की बिक्री एक पंजीयत व्यवसाई व्दारा दूसरे पंजीयत व्यवसाई को करने पर वेट की राशि की स्त्रोत पर कटौती करने का अधिकार क्रेता पंजीयत व्यवसाई को दिया जाना प्रस्तावित है। इससे निर्माण सहित बीच के सभी पंजीयत व्यवसाइयों को बिना कर चुकाए कपास क्रय करने की सुविधा रहेगी।

9. प्रदेश के विकास कार्यों हेतु वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार वस्तुओं पर वेट की दरों में वृध्दि प्रस्तावित है :–

(1) प्रदेश में अनुसूची II में शामिल वस्तुओं पर वेट की दर 4 प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 250 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

(2) वर्तमान में बीड़ी वेट कर से मुक्त है। बीड़ी पर 5 प्रतिशत की दर से वेट लागू करना प्रस्तावित है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 18 करोड़ का राजस्व अनुमानित है।

(3) सभी प्रकार के टेलीफोन उपकरण, सेल्यूलर फोन सहित, पर वेट की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 50 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

(4) पुरानी कारों के साथ अन्य पुराने वाहनों के पुनः विक्रय पर कर की दर 1.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।,

10. प्रदेश के औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रवेश कर की दरों में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित हैः–

(1) विश्व व्यापार में मंदी का प्रभाव प्रदेश के रोजगारोन्मुखी उद्योग चमड़े के वस्त्र एवं खिलौना निर्माण पर पड़ा है। इन उद्योगों को राहत देने के लिये चमड़े पर देय प्रवेश कर समाप्त करना प्रस्तावित है। इस छूट से चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 3 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

(2) कपास–बीज को प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 3 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

11. गौशालाओं को दान में दी जाने वाली कृषि भूमि पर स्टाम्प शुल्क माफ करना प्रस्तावित है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 1 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

12. सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों पर देय मनोरंजन शुल्क की दर मनोरंजन के अन्य साधनों पर देय मनोरंजन शुल्क की तुलना में अधिक है। सिनेमा घरों के व्यवसाय में गिरावट परिलक्षित है। इस व्यवसाय को राहत देने के लिये सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के लिये देय मनोरंजन शुल्क की दर घटाकर 20 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 3 करोड़ के राजस्व की हानि अनुमानित है।

13. आर्थिक तंगी के समय विकास की गति बनाये रखने के लिए आवश्यक राजस्व संग्रहण में अन्य वर्गों के साथ–साथ वाहन मालिकों का योगदान भी अपेक्षित है। अतः मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम में निजी उपयोग में आने वाली मोटर साइकिल, मोटरकारों में लागू होने वाले जीवनकाल कर की दर में 2 प्रतिशत वृद्धि की जाना प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश में इन वाहनों पर जीवनकाल कर की वर्तमान दर 5 प्रतिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत रखा जाना

प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि मोटर साइकिलों की यह दर वर्ष 1997 से अपरिवर्तित है तथा मोटरकारों की यह दर भी वर्ष 2001 से अपरिवर्तित है। पुनरीक्षित दरों से वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त रूपये 55 करोड़ राजस्व वृद्धि होने की अपेक्षा है।

14. इस प्रकार उपरोक्तानुसार कंडिका–8 से 13 तक के प्रस्तावों के कारण इस वित्तीय वर्ष में रूपये 355 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलना अनुमानित है।

जमीन जब तक न अपना हिस्सा अदा करेगी
गुलाब खिलते नहीं हवाओं की सिफारिशों से

हमारी मंजिल है – स्वर्णिम मध्यप्रदेश,
हमारा लक्ष्य है, 'मध्यप्रदेश को विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा करना। हमारे कदम मजबूती से मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, विघ्न और बाधाओं की परवाह किये बिना, बिना रूके बिना थके। लक्ष्य तक पहुंचे बिना, पथ में पथिक विश्राम कैसा।

जिन्दगी की अगली उड़ान अभी बाकी है
हमारे इरादों का इम्तहान बाकी है
अभी तो नापी है मुठ्ठीभर जमीन हमने
आगे सारा आसमान बाकी है।।

अंत में अटलजी की दो पंक्तियों के साथ इस बजट भाषण का समापन करता हूँ

सबल भुजाओं में रक्षित है नौका भी पतवार
चीर चलें सागर की छाती, पार करें मझँधार

जय मध्यप्रदेश, जय भारत

.....